

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.


प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मातासर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 श्री जोराराम पुत्र चेतनराम हनुमानराम पुत्र चेतनराम चेतनराम जातियान जाट निवासीयान पूर्वी मातासर तहसील एवं जिला बाड़मेर	2 3 टीपू पत्नी जाट निवासीयान पूर्वी मातासर तहसील एवं जिला बाड़मेर	1 नैनाराम पुत्र शेराराम 2 रावताराम पुत्र पदमाराम 3 देवाराम पुत्र करनाराम 4 पदमाराम पुत्र विशनाराम 5 उमाराम पुत्र मालाराम 6 जोगाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी पूर्वी मातासर भूरटिया तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-225/2017 दिनांक-19.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पूर्वी मातासर पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 231 रकबा 20.08 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगड़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर जमा किया जावेगा।


(रोहित चौहान)


उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक- 19/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6031-6034

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भूरटिया तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जोराराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी पूर्वी मातासर तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण सोनाराम पुत्र मोतीराम वगैरह जातियान जाट निवासीयान पूर्वी मातासर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर